इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त 2015—श्रावण 29, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

> भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2015 सूचना

क्रमांक 3-26/2015/18-5:— मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शिंतयों को प्रयोग में लाते हुये, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त प्रारूप संशोधन पर विचार किया जाएगा।

ऐसी किसी भी आपितत या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

1. नियम 2 का संशोधन,—

नियम 2 के उपनियम (40) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात :--

''(40)(क) "प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर, जिसे कि प्राधिकारी द्वारा भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो।''।

2. नियम 6 का संशोधन,-

नियम (6) के उपनियम (2)के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात :--

"(3) अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पंजीकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर को, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए 300 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों पर, भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी भवन अनुज्ञा जारी करने की शक्ति किसी भी ऐसे वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर को नहीं देगा, जो नियम 26—क एवं 26—ख में उपबंधित मापदण्डों का पालन नहीं करते हों तथा जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव न हो।

3. हॉनियम 9 का संशोधन,-

नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

"9. निरीक्षण— प्राधिकारी/भवन अधिकारी सभी अपेक्षित निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा। सभी निरीक्षण रिपोर्ट लिखित रूप में होंगी तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की जाएंगी। प्राधिकारी/भवन अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे तकनीकी मामलों में, जो उत्पन्न हों, रिपोर्ट देने के लिए प्राधिकृत, वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर को या संबंधित कार्य का ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति को प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।"।

4. नियम 14 का संशोधन,-

नियम 14 के उपनियम (1)के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात :--

"(1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भूमि अथवा भवन को विकसित, निर्मित, पुनर्निर्मित करना चाहता है अथवा उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है, वह परिशिष्ट—क—1 (विकास अनुज्ञा की दशा में) अथवा परिशिष्ट क—2 (भवन निर्माण अनुज्ञा की दशा में) दिए गए प्ररूप में लिखित में प्राधिकारी को अथवा परिशिष्ट क—2(1) में उसके द्वारा भवन अनुज्ञा हेतु प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर को दस्तावेजों एवं आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन आवश्यक दस्तावेजों, रेखांक (चार प्रतियों में) तथा विवरणों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। रेखांक, अमोनिया प्रिन्ट अथवा सफेद प्रिंट में होंगे। अमोनिया प्रिन्ट अथवा सफेद प्रिंट अभिलेख हेतु प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा:

परन्तु यदि अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा ऑनलाईन पद्धित लागू की गई हो तो प्राधिकारी द्वारा उपयोग किये जा रहे साफ्टवेयर के माध्यम से ही आवेदन, रेखांक, दस्तावेज तथा विवरणों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त की जाएगी। प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त समस्त आवेदन, रेखांक, दस्तावेज तथा विवरणों का रिकार्ड इलेक्ट्रानिक स्वरूप में ही रखा जाएगा तथा अनुज्ञा पत्र एवं रेखांक डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अभिप्रमाणित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे साफ्टवेयर में तैयार की जाएगी जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए। ऑनलाईन पद्धित के माध्यम से प्राप्त समस्त आवेदनों का आवेदन शुल्क, अनुज्ञा शुल्क एवं अन्य प्रभार इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त किये जाएँगे:

परन्तु यह और कि प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर, भवन अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन प्राप्त कर सकेगा, किन्तु प्राधिकारी को प्रदत्त किये जाने वाले विहित आवेदन शुल्क का भुगतान, प्राधिकारी के कोषालय/बैंक अकाउण्ट में आवेदन प्राप्त करने के पूर्व ही जमा करके उसकी रसीद प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।"।

5. रिनंयम 21 का संशोधन,-

नियम 21 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

"(4) मानक रेखांक अनुज्ञा— प्रत्येक प्राधिकारी / प्राधिकृत वास्तुविद / संरचना इंजीनियर, 300 वर्गमीटर तक के भूखण्ड आकार के लिए अनुमोदित मानक भवन रेखांकों का एक सेट रखेगा। यदि स्वामी / आवेदक का भूखण्ड किसी अनुमोदित अभिन्यास में स्थित है तथा यदि वह प्राधिकारी के पास उपलब्ध अनुमोदित मानक रेखांकों में से किसी के अनुसार अपने आवास का निर्माण करने की इच्छा रखता है तो वह अपनी पसंद के अनुमोदित मानक रेखांक दर्शित करते हुए आवश्यक शुल्क तथा अपने स्वामित्व के दस्तावेजों के साथ विहित प्ररूप में प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। प्राधिकारी को शुल्क के भुगतांन की रसीद ऐसे मामले में प्राधिकृत भवन अनुज्ञा के रूप में मानी जाएगी।"

6. नियम 26 का संशोधन,—

नियम 26 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात् :--

- "(एक) '26—क (1) प्राधिकारी द्वारा भवन अनुज्ञा प्रदान करने हेतु ऐसे वास्तुविद्⁄संरचना इंजीनियर को, जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो तथा जो नियम 26 के उप नियम (2) में वर्णित सारणी के सरल क्रमांक 1 व 2 में वर्णित अर्हताएं रखते हों, परिशिष्ट—ग—1 में आवेदन प्राप्त कर प्राधिकृत किया जा सकेगा । प्राधिकारी द्वारा इनकी जानकारी परिशिष्ट—ग—2 में रखी जायेगी;
 - (2) प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा जिसे कार्य के आधार पर प्रत्येक पाँच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण किया जा सकेगा ;
 - (3) प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर की संख्या उतनी होगी जितनी प्राधिकारी द्वारा विहित की जावें ;
 - (4) प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर द्वारा कदाचार की स्थिति में प्राधिकारी द्वारा, पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। परन्तु यह कि ऐसा निरसन तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि संबंधित प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदाय न किया जाए;
 - (5) प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर को निर्धारित पंजीयन पत्र परिशिष्ट—ग—3 में जारी करेगा।"।
 - (दो) 26—ख भवन निर्माण अनुज्ञा के संबंध में प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर के उत्तरदायित्व व शर्तेः—

प्रत्येक प्राधिकृत वास्तुबिन्/संरचना इंजीनियर,-

- (1) भवन निर्माण / पुनर्निमाण हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के आवेदनों पर 30 दिन से अनिधक के समय में उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करेगा;
- (2) उन भवनों के लिए ऐसी अनुज्ञा देगा, जिनका भूखण्ड वैधानिक रूप से स्वीकृत अभिन्यास का भाग हो;
- (3) भवन अनुज्ञा आवेदन का परीक्षण नगर की प्रवृत्त शील विकास योजना तथा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के साथ—साथ इस निमित्त समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा;

(4) जिन भवन अनुज्ञाओं का परीक्षण कर स्वीकृति देगा, वह उन भूस्वामियों की

दशा में भवन अनुज्ञा का प्रस्ताव स्वयं तैयार नहीं करेगा;

(5) आवेदकों को जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा में, जिस "अनुज्ञप्तिधारी" प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर द्वारा रेखांक तैयार किया जायेगा नक्शे पर, स्वयं का लायसेंस कमांक एवं नाम के साथ—साथ पंजीयन कमांक का स्पष्ट उल्लेख कर विधिवत मुद्रा सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(6) भवन अनुज्ञा से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी परिशिष्ट-ग-4 में

यथाउपबंधित सारणियों में संधारित की जाएगी;

(7) भवन अनुज्ञाओं की प्रति कार्यालय में रखेगा तथा आवेदक व जिस अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रेखांक तैयार किए गए हैं, उनकी स्वीकृति की प्रति साफ्ट कॉपी के साथ दो प्रतियों में आवेदक के मूल आवेदन तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को प्राधिकारी के भवन अनुज्ञा कार्यालय में जमा कराएगा;

(8) भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्राधिकारी कार्यालय में जमा की जाने वाली शुल्क की गणना करेगा तथा उक्त राशि प्राधिकारी के कार्यालय में जमा होना सुनिश्चित

करने के उपरांत ही स्वीकृति जारी करेगा;

(9) भवन अनुज्ञा का विवरण प्राधिकारी को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक

प्रस्तुत करेगा; और

(10) प्राधिकारी को 'मुगतान किये जाने वाले शुल्क की राशि में अंतर होने पर शेष राशि का भुगतान करेगा अथवा कराएगा तथा ऐसा न होने की दशा में, जारी भवन अनुज्ञा अमान्य किए जाने के संबंध में प्राधिकारी को अवगत कराएगा।"।

7. नियम 28 का संशोधन,-

नियम 28 के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :--

"परन्तु प्राधिकृत वास्तुविद् को भवन अनुज्ञा हेतु दिये गए आवेदन की स्थिति में समय—सीमा व्यतीत हो जाने पर यह नहीं समझा जाएगा कि अनुज्ञा प्रदान कर दी गई है ।"।

परिशिष्ट 'क'-1 (नियम 14 देखिए) विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,	•					
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
		=			. •	
महोदय,				*		
	नगर	तहसील———	जिला	। के कॉलोनी य	। बाजार ——	
ग्राम —	में स्थि	रत खसरा क्रमा	क	– भू–खण्ड ह	म्मांक ———	क्षेत्र
_:	हेक्टर/वर्ग मीटर —	(विकास	के प्रयोजन क	ा उल्लेख करें)	में तथा मध्यप्रदेश	भूमि
	नेयम, 2012 के अनुर					
	वास्तुविद् या संरचन					
अनुज्ञप्ति	क्रमांक ———	जो इसके विका	स का पर्यवेक्षण	ा करेगा द्वारा र	तम्यक् हस्ताक्षरित	तथा
प्राधिकृत	निम्नलिखित रेखांक व	दस्तावेज तथा वि	शिष्ट विवरण च	ार प्रतियों में अ	ग्रेषित कर रहा ह्	<u> </u>
···· 6.						
1. H	ख्य रेखांक नियम		:	<u> </u>		
2. ₹	थल रेखांक		:			
3. 🔻	उप विभाजन/अभिन्या	स रेखांक				
(5	प्तबडिवीजन ∕ ले–आउ	ट प्लान)	:		•	
4. V	<u>भेवा आयोजना रेखांक</u>		:		- ;	
	ास्तावित विकास कार्य					
6.	स्थल के संबंध में भूमि	। स्वामित्व अथवा	कोई विधिक उ	मधिकार के प्रमाप	ग दर्शाने वाले द	स्तावेज
	•		:			**
	सेवा आयोजन (सर्विस		:		•, •	
	विशिष्टियां (स्पेसिफिके				•	
	नजूल अनापत्ति की व		` <u> </u>	_ 		
	आवेदन शुल्क की पा				-	
	इस आवेदन के साथ करें	ग्र भू—स्वामी द्वार -	ा आवेदक को :	अधिकृत किये	जाने के प्रमाण —	प्रस्तुत
	(जहां आवेदक भू–स्व	ामी से भिन्न हो)	•			
	पार्किंग की गणना के		ान :- 		:	
	अनुक्रमांक 1 से 11					
13.	. अनुक्रमाक । स ।।	रापर परा इरापट्रा	11147 47141			
/ · •	में निवेदन करता हूँ देत करने की अनुमति	कि प्रस्तावित वि	कास कार्यों को	अनुमोदित कि	या जाए और मुझे	। कार्य
निष्पा	दत करन का अनुनात	HARLIN AN OILS				
	क के हस्ताक्षर		:	ar a		
1.5	क का नाम					
	क का पता					
आपप ईमेर						
	प्रभावाइल नम्बर व/मोबाइल नम्बर					
दिनांव						

परिशिष्ट-क-2 (नियम 14 देखिए)

स्थानीय प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा प्राप्ति हेतु आवेदन का प्ररूप

प्रति,		
	(स्थानीय प्राधिकारी का नाम एवं पता)	
महोदय	य,	
	में कालोनी या मोहल्ला या बाजार	ग्राम या नगर
	तहसील जिला में स्थित भवन क्रमांव	p —— भू-खण्ड क्रमांक या
खसरा	ा क्रमांक क्षेत्रफल वर्गमीटर या हेक्टेय	र ——— निर्माण के प्रयोजन
हेतु म	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार परिनिर्माण अ	थवा पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन
करना	। चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे द्वारा तथा	वास्तुविद् या संरचना
	नेयर या इंजीनियर या पर्यवेक्षक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो ि	
करेगा	ा, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित (हार्ड एवं साफ्ट कापी में) निम्न	लिखित दस्तावेज, योजना तथा
विशिष	ष्ट विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।	
1.	मुख्य रेखांक (की-प्लान)	
2.	स्थल रेखांक (साईट प्लान) :	•
3.	उपविभाजन/अभिन्यास रेखांक	
	(सबडिवीजन / ले–आउट प्लान) :	
4.	भवन नक्शे (प्लान्स) चार प्रतियों में :	
5.	सेवा आयोजना(सर्विस प्लान) :	
6.	विशिष्टियां (स्पेसिफिकेशन), सामान्य तथा विस्तृत :	
7.	रथल के संबंध में भूमि स्वामित्व / कोई विधिक अधिकार (ली	गल राईट) के प्रमाण दशान वाल
	दस्तावेज :	

8.	नजूल अनापत्ति की	कॉपी						
9.	आवेदन शुल्क की पा	वती की कापी	. :					
10.	इस आवेदन के सा	थ भू-स्वामी द्वारा	आवेदक व	ने अधिकृत	किये	जाने के	प्रमाण प्रस्तु	त
	करें :							
• •	(जहां आवेदक भू–रव	ग्रामी से भिन्न हो)						
11.	पार्किंग की गणना वे							
12.	अनुक्रमांक 1 से 11	तक की इलैक्ट्रॉनि	क / साफ्ट	कापी :			<u></u>	
*.				,		•		
•	मैं निवेदन करता हूँ	कि प्रस्तावित निम	ाण कार्यों क	ा अनुमोदित	किया	जाए औ	र मुझे कार्य	
निष्पा	दित करने की अनुमति	प्रदान की जाए।			1			
					•	• ,		
a 	क के हस्ताक्षर							
आवेव	क का नाम							
आवेद	दक का पता							
ई-मे	ल पता							
दूरभ	ष / मोबाइल नम्बर			٠			•	
ू दिनां	•		·	1. 1.		•		
				en e				

परिशिष्ट—क—2(1) (नियम 14 देखिए)

प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर से भवन अनुज्ञा प्राप्ति हेतु आवेदन का प्ररूप

	•		
प्रति,			
•			•
	(प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर		
	का नाम एवं पता)		
महोदर	य,		
· . ·	मैं कालोनी या	मोहल्ला या बाजार	——— ग्राम या नगर
	—— तहसील——— जिला	में रिथत भवन क्रमांक	—— भू—खण्ड क्रमांक या
	। क्रमांक ——— क्षेत्रफल ———		
हेत म	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के	अनुसार परिनिर्माण अथ	वा पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन
	चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे		
	नेयर या इंजीनियर या पर्यवेक्षक (नाम		
	ा, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित (हार्ड एवं		• •
	न्थ्य विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।		
विशि	ट विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।		
	المستعدد الم		*
1.	मुख्य रेखांक (की-प्लान)	•	
2.	स्थल रेखांक (साईट प्लान)		
3.	उप विभाजन/अभिन्यास रेखांक		
	(सबडिवीजन / ले–आउट प्लान)		
4.	भवन नक्शे (प्लान्स) चार प्रतियों में		
5.	सेवा आयोजना(सर्विस प्लान)		
6.	विशिष्टियां (स्पेसिफिकेशन), सामान्य त	तथा विस्तृत :	
7.	स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व/कोः	ई विधिक अधिकार (लीग	ल राईट) के प्रमाण दर्शाने वाले
ز پ	, दस्तावेज		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

	नजूल अनापत्ति की कॉपी		•					
. 8.		· ·			**			
9.	आवेदन शुल्क की पावती व	री कापी :	,			•		
10.	इस आवेदन के साथ भू-	स्वामी द्वारा आवे	दक को	अधिकृत	किये जाने	के	प्रमाण प्र	रस्तुत
	करें :		•	•				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(जहां आवेदक भू-स्वामी से	भिन्न हो)		•				
11.	पार्किंग की गणना के साथ	पार्किंग प्लान :						
12.	अनुक्रमांक 1 से 11 तक व	त्री इलैक्ट्रॉनिक/स	गफ्ट कार्प	ì :				
•	•				•			
• *	में निवेदन करता हूँ कि प्र	न्तातित निर्माण का	र्यों को अ	नमोदित ।	केया जाए	और	मझे का	र्घ
निष्पादि	रेत करने की अनुमति प्रदान	•	91 471 01	3	-11 -11 -11 3		3	
			· .					
आवेदव	p के हस्ताक्षर ——		****					•
आवेदव	क का नाम ——							• • •
आवेदर	क्र का पता		.	. •		•	•	
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
ई—मेल			······ .					; ;;
दूरभाष	/मोबाइल नम्बर							
दिनांक			<u></u>					-
		· .		4	* 4			
門) ク		•			*			.
6			**************************************			********	*************	

प्राधिकृत वास्तुविद / संरचना इंजीनियर द्वारा दी जाने वाली पावती

पावती

आवेदक श्री / श्रीमती	को भूखण्ड
क्रमांक / खसरा क्रमांक	जो कि कालोनीपर
भवन निर्माण अनुना आवेदन दिर	या है यह आवेदन अनुज्ञप्तिधारी श्री
अनुज्ञप्ति कमांकद्वारा तै	
यह आवेदन आज दिनांव आवेदन का आवश्यक परीक्षण कर	6को मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है। मेरे द्वारा भवन अनुज्ञा प्रदान करने की समुचित कार्रवाई यथासमय
की जाएगी ।	
•	
	८०० राज्या नंगीरिया का नाम
	(प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर का नाम
	व पता, मुद्रा सहित)
	परिशिष्ट "ग—1"
	(नियम 26 देखिए)
वास्तुविद्/संरचना इं	जीनियर के पंजीयन हेतु आवेदन का प्रारूप
•	
प्रति,	
आयुक्त/मुख्य नगर पालिका	अधिकारी,
नगर पालिक निगम/नगर प	।लिका / नगर परिषद्
महोदय,	
मैं, आपके निकाय अन्तर्गत	नियम 6(3) के तहत 300 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के
भूखण्डों पर भवन अनुज्ञा प्रदाय व	over हेतु नियम 26(क) में उल्लिखित मापदण्डों की पूर्ति
करता हू उक्त नियमा क पारपाल	न में निकाय के अन्तर्गत भवन अनुज्ञा स्वीकृत करने हेतु ।स्तुत कर रहा हूं। आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी
पंजाकरण करन बाबर्ग न जायपण ह	right are to granter as the re-
1. योग्यता	
	र अनुवादिन की प्रति
	नर्माण संबंधी कार्यों के अनुभव का विवरण
	ननाग सबदा कावा के जनुनव का विवर
4. अन्य विवरण	— ि र र र र प्राप्त मारिक्स नामनीट / मंग्राना
अतः अनुरोध है कि मुझ इंजीनियर के रूप में पंजीकृत करने	ु उक्त निकाय के अन्तर्गत प्राधिकृत वास्तुविद्∕संरचना का कार्ट करें।
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE THE STATE OF T
स्थान :	
दिनांक :	
	आवेदक का नाम एवं पता
	वारतुविद्/संरचना इंजीनियर
	अनुज्ञप्ति क्रमाक

परिशिष्ट "ग—2" (नियम 26 देखिये)

प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर का पंजीकरण विवरण रखने का का प्ररूप

वर्ष-..

परिशिष्ट-....

क.	वास्तुविद्/ संरचना इंजीनियर का नाम	वास्तुविद्/ संरचना इंजीनियर	अनुज्ञप्ति अवधि	आवेदन दिनांक	प्राधिकृत वास्तुविद्/ संरचना	पंजीयन अवधि
	इजानियर का नाम	संरचना इजानियर का काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर/ नगरीय निकाय का पंजीयन कमांक	अवाध	ादनाक	वास्तु।वद्/ संस्थन। इंजीनियर का पंजीकरण कमांक/ दिनांक	अपाव
1	2	3	4	5	6	7
			•			
						4
				·		

परिशिष्ट "ग-3" (नियम 26 देखिए)

भवन अनुज्ञा हेतु प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर का पंजीयन पत्र

कार्यालय, नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर परिषद
पंजीयन क्रमांक दिनांक
मैशी/श्रीमती/कुमारी(प्राधिकारी का नाम) एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी
(वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर का नाम) को नगर निगम/नगर पालिका/नगर
परिषद् की सीमा अंतर्गत प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर को नियम
6(3) के तहत् प्रावधानित 300 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों की भवन अनुज्ञा प्रदाय करने के
लिए प्राधिकृत करता हूँ। यह पंजीयन दिनांक//20 तक विधिमान्य होगा। यह
पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :
<u>খার্ন</u>
1. यह पंजीयन अहस्तांतरणीय है।
 प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर अपने कार्यालय में किसी सहजगोचर स्थान पर इस
पंजीयन पत्र की मूल प्रति प्रदर्शित करेगा।
3. प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर पंजीयन की समाप्ति की तारीख के पूर्व उसक
नवीकरण कराएगा।
4. प्राधिकृत वास्तुविद् / सरचना इंजीनियर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों क
पालन करेगा और इस पंजीयन के निबंधनों के अंतर्गत कार्य करेगा।
5. प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर आवेदक के साथ पर्यवेक्षण अथवा रेखांक तैयार करने हेतु कोई अनुबंध निष्पादित नहीं करेगा न ही स्वयं तैयार किए गए रेखांकों पर स्वीकृति देग
हतु कार्र जनुषय गण्यापरा गृहा करमा गृहा रवय रावार मिन्ट्र गर् रखाका गर रवाकृता यग
6. प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर, प्राधिकारी की ओर से भवन अनुज्ञा जारी क
दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और पंजीयन कमांक लिखेगा, और नियमानुसा
अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
7. यह पंजीयन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा औ इन शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन होने पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन
पंजीकृत प्राधिकृत वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर के विरुद्ध की जाने वाली अन्य कोई विधिव
कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह पंजीयन रद्द हो जाएगा ।
स्थान:
दिनांक :
<u></u>

(आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी का नाम व पता, मुद्रा सहित)

परिशिष्ट ग—4 (नियम 26 देखिये)

भवन अनुज्ञा का विवरण रखने का प्ररूप

सारणी–अ (सामान्य)

क्र.	आवेदक /भूखण्ड स्वामी का नाम	भूखण्ड का उपयोग यथा आवासीय/ व्यवसायिक अन्य	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कालोनी का नाम एवं भूखण्ड क्रमांक
1	2	3	4	5

आवेदन शुल्क रूपये, रसीद क्रमांक एवं दिनांक	आवेदन प्राप्ति दिनांक	अनुज्ञा शुल्क रूपये, रसीद क्रमांक एवं दिनांक	अनुज्ञा की प्रति आवेदक एवं अनुज्ञप्त वास्तुविद्/इंजीनियर को प्रदाय करने का दिनांक	समस्त दस्तावेज भवन अनुज्ञा कार्यालय में जमा करने का दिनांक
6	7	8	9	10

सारणी—ब (तकनीकी)

	आवेदक का	भूखण्ड	स्यीकृत अनुज्ञा का विवरण									
_	नाम एवं पता,	का	₹	ीमान्त	खुला क्षे	त्र	107			, 7	फ.ए.आर	
क .	मूखण्ड क्रमांक, कालोनी, मोहल्ला	क्षेत्रफल एवं माप	सामने	पृष्ठ	आज	बाजार	्रू आच्छादित क्षेत्र	ऊँचाई	स्वीकार्य	स्वीकृत	क्षेत्रफल एफएआर अनुसार	एफएआर से बाहर का क्षेत्रफल
1	. 2	3	4	5	6	. 7	8	9	.10	11	12	13
						#						
	*											

क्र.	अनुज्ञा में शुल्क की गणना									
	आवेदन शुल्क	अनुङ्गा शुल्क		अन्य शल्क						
1	14	15	16	17	18					
										
l										
				1.						

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2015

क्रमांक-एफ-3-26-2015-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-26-2015-अठारह-5, दिनांक 20 अगस्त 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, उपसचिव.

Bhopal, the 20th August 2015

NOTICE

No 3-26/2015/18-5/ The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 which the State Government Proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with Sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973(No. 23 of 1973) is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 85 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

1. Amendment of Rule 2.-

After sub rule (40) of Rule 2, the following sub rule shall be inserted, namely:-

"40(a) "Authorised Architect/Structural Engineer" shall mean any Licensed Architect/Structural Engineer who has been authorised by the Authority to issue building permission.".

2. Amendment of Rule 6.-

After sub-rule (2) of rule 6, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) Architect/ Structural Engineer duly registered by the Authority having jurisdiction may be authorised to issue the building permission on the plots measuring up to 300 sq. meter by the Authority having jurisdiction after getting approval of the Director, town and country planning:

Provided that competent Authority shall not give the power to issue building permission to such Architect/Structural Engineer who does not fulfil the norms provided in rule 26-A and 26-B and not possess minimum 10 years experience.".

3. Amendment of Rule 9.-

For rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"9 Inspection Authority/ Building Officer may make or cause to be made all the required inspections. All reports of inspections shall be in writing and duly certified by the inspecting officer. Building officer, after obtaining the approval of the Authority, may appoint such authorised Architect/Structural Engineer or to any other person having knowledge of the related work, report as he may deem fit to report in such technical matters as may arise."

4. Amendment of Rule 14.-

For sub rule (1) of rule 14, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every person who intends to develop, erect, re-erect or make alternations in any land or building shall make an application in writing to the Authority or authorised Architect/Structural Engineer to issue building permission in the forms given in Appendix A-1 (In case of development permission) or in Appendix A-2 and A-2 (1) (In case of building permission) with documents and necessary fees specified. Such application shall be accompanied by documents, plans and statements in quadruplicate. The plans shall be in ammonia print or white print. In addition an electronic copy shall be submitted, prepared in such software as may be directed by

the Authority. Ammonia print or white print shall be retained in the office of the Authority for record:

Provided that if the online system has been adopted by the Authority having jurisdiction, application, plan, document and statement shall only be obtained through the software being used by the Authority. Authority shall keep the record of all plans, application, documents and statements in electronic form and licence and plan shall be certified by digital signature. Electronic copy shall be prepared in such software as may be directed by the Authority. Aapplication fees, permission fees, and all other charges shall be received through online system:

Provided further that authorised Architect/Structural Engineer may receive application for building permission but prescribed fees shall be paid into the treasury/bank account of the Authority in advance and its receipt shall be accompanied with the application being submitted to the authorised Architect/ Structural Engineer."

5. Amendment of Rule 21.-

For sub-rule (4) of rule 21, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) Standard Plan Permission- Each Authority/authorised Architect/Structural Engineer shall keep a set of approved standard building plan for plot sizes up to 300 square meters. If the owner's/applicant's plot is situated in an approved lay out, and he wishes to construct his house as per any one of the approved standard plans available with the Authority, he may apply to the Authority/authorised Architect/Structural Engineer in the prescribed form indicating his choice of the approved standard

alongwith the requisite fees and document of ownership. The receipt of payment of fees to the Authority in such case shall be considered as authorised building permission.".

6. Amendment of Rule 26.-

After rule 26, the following rules shall be added, namely:-

- "(i) 26-A(1) The Authority, may authorise such Architect/Structural Engineer to grant building permission who has minimum 10 years experience and who possess the minimum qualification as laid down in sub rule (2), in table at serial number 1 and 2 after obtaining application from them prescribed in Appendix-c-1. Authority shall keep their information in Appendix C-2:
- (2) Term of authorised Architect/Structural Engineer shall be five years, which may be renewed after completion of five years subject to their work performance;
- (3) Number of authorised Architect/Structural Engineer shall be such as may be prescribed by the Authority;
- (4) In case of any misconduct by authorised Architect/Structural Engineer, their registration may be cancelled. Provided that such cancellation shall not be made until a reasonable opportunity of being heard to the concern authorised Architect/Structural Engineer has not been given;
- (5) The Authority shall issue Registration certificate to such authorised Architect/Structural Engineer in Appendix-C-3."
- (ii) 26-B. Responsibilities and conditions of authorised Architect/Structural Engineer, in respect of building permission shall be as under:-

- (1) Each authorised Architect/Structural Engineer shall issue building permission on the application submitted to them for erection/re-erection of building in accordance of the powers conferred on them within a period of not exceeding 30 days;
- (2) To accord such permission only to such buildings which are proposed to be constructed on such plot layout of which has been approved;
- (3) To scrutinize applications for building permission keeping in view the provisions of ongoing development plan and Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012 together with the guidelines issued in this behalf from time to time;
- (4) Not to prepare proposals of building permission in such cases in which he has scrutinized and approved the plan;
- (5) In respect of building permission issued, the licensee authorised Architect/Structural Engineer who has prepared plans to put their license number and name along with their seals, registration number and signatures on the map;
- (6) All the relevant information regarding building permission shall be maintained in the tables as provided in Appendix C-4.
- (7) Authorised Architect/Structural Engineer shall keep the copy of building permission in the office and shall furnish the details of applicant and the licensee who has prepared the plans alongwith the soft copy of details of sanction in two copies and the original application of the applicant and documents accompanied to it to the building permission office of the Authority;
- (8) For the purpose of building permission, to work out the fee to be deposited in the office of the Authority and to grant sanction only after ensuring that the requisite amount has been deposited.
- (9) To submit to the authority, the details of the building permission by the end of the first week of each month: and
- (10) In case of any difference in amount of fees to be paid to the Authority to pay or cause to be paid the balance amount failing which to intimate the Authority to cancel the building permission issued.

7. Amendment of Rule 28.-

At the end of rule 28 for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that in case of lapse of time in deciding application seeking building permission from authorised Architect/Structural Engineer, it shall not be deemed that the requisite permission has been granted.".

APPENDIX A-1 (See rule 14)

Application form for Development Permission

To,				•		
						. • •
					•	
	4	,			•	
Sir,						
	I intend to develop Land	T 7 1	3.T.			/Plot no
purper Rule spectauthe	Colony or mohalla Tehsil Tehsi	Dis lanc h harc	strict for e with the the follo l and soft ngineer o	Madhya wing pl copies) or Engin	Pradesh ans, do luly sigr	(mention the Bhumi Vikas ocuments and ned by me and Town Planner
. 1.	Key Plan :	• •		**********		
2.	Site Plan :				• • • • • • • • •	
3.	Sub Division/Layout Plan:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
4.	Project Report out lining:	•				
_	the proposed Development					
5.	Documents showing:	•				
-	proof of ownership or of					
	any legal right in relation					
	to the site					
6.	Service Plan		•••••			
7,.	Specification, General:	•	•••••			********
	and detailed	,				
8.	Copy of Nazul NOC					
9.	Copy of receipt of a Application Fee	•				••••

•	
having been authorized by the owner to submit along with this application (where the applicant is different from	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
norking calculations	••••••
12. Electronic copy of above : serial number 1 to 11	4
accorded to me to execute the wor	
Signature of the Applicant	
Name of the Applicant	
Address of the Applicant	
Phone / mobile no	
Date	

APPENDIX A-2 (See rule 14)

Application form for Building Permission From Local Authority

			•
To,	•		
		• • •	
â		• • •	
-	•		
Sir,			
or T cons	ng Area Color Town Tehs truction of Tild Vikas Rule, 2012, I so ifications in quadruplicate (in the color).	on I ny sil ubr	t or to make alteration in the building Plot no. or Khasra No. Square Meters or Hectares situated in or Mohalla or bazar
1.	Key Plan	:	
2.	Site Plans	:	
3.	Sub Division/Layout Plan	:	
4.	building Plans		
5.	Service Plans	:	
6.	-	:	
	detailed		
7.	Documents showing proof		
	of ownership or of any		
	legal right in relation to		
,	the site Copy of NOC (Nazul)		
8. 9.	Copy of receipt of	•	
2.	Application Fee	٠	
10.		• :	
	having been authorized by		
	-		

parking calculations 12. Electronic copy of item	:	
number 1 to 11	•	
		. 1
permission accorded to me to ex		•
Signature of the Applicant		
Name of the Applicant	***************************************	
Address of the Applicant		
Email ID		
Phone		••••••
Date		

APPENDIX A-2(1) (See rule 14)

Application form for Building Permission From Authorised Architect/Structural Engineer

To,			
	(Name and Address author	ised	Architect/ Structural Engineer)
Sir,			
or Toons Prace spece	situated ng Area Coke Town Tehestruction In lesh Bhumi Vikas Rule, 2013 cifications in quadruplicate (i	on ony sil according to the second se	et or to make alteration in the building Plot no. or Khasra No. Square Meters or Hectares situated in or Mohalla or bazar
	Key Plan	:	
1.			
2.	Site Plans	:	
3.	Sub Division/Layout Plan	:	
4.	Building Plans		
5.	Service Plans	:	
6.	Specification, General and detailed	•	
7.	Documents showing proof		
. * •	of ownership or of any		
	legal right in relation to		
	the site		
8.	Copy of NOC (Nazul)	:	
9.	Copy of receipt of		
•	Application Fee		

10. Proof of the applicant having been authorized by the owner to submit along with this application	:	
(where the applicant is		
11. Parking Plans along with parking calculations	:	
12. Electronic copy of item	:	••••••
number 1 to 11		
I request that the propo-	sed	construction work may be approved and
permission accorded to me to ex	ecu	
permission accorded to me to ex Signature of the Applicant	ecu	te the work.
Permission accorded to me to ex Signature of the Applicant Name of the Applicant	ecu	te the work.
Signature of the Applicant Name of the Applicant Address of the Applicant	ecu	te the work.
Signature of the Applicant Name of the Applicant Address of the Applicant	ecu	te the work.
Phone.	ecu	te the work.

APPENDIX "C-1" (See rule 26)

Form of Application For Registration of Architect/Structural Engineer

То,	
Commissioner/Chief Municipal Officer,	
Municipal Corporation/Municipality/Nagar Parishad	
Sir,	
I fulfil norms laid down in rule 26 (A) to issue building permission of plots measuring upto 300 sq.metre under rule 6(3). In pursuance of the sair rules I am submitting application to get registered under said body to issubuilding permission. Following information is enclosed with application:-	a
1. Qualification.	
 Copy of License of Architect/Structural Engineer. Details of work regarding building construction during past 1. 	0
years.	
4. Other details	
It is requested to register myself under the said body as authorise Architect/Structural Engineer.	æ
Place Date	
Name and address	of
Architect /Structural Engine	er
License No	

APPENDIX "C-2" (See rule 26)

Form of Details Regarding Registration of Authorised Architect/Structural

Engineer

Year Ap	pendix
---------	--------

S.No.	Name of Architect/ Structural Engineer	Registration No. Architect /Structural Engineer with council of Architecture/ urban body.	Term of License	Date of Application	Registration no. of authorised Architect/Structural Engineer/Date	Period of Registration
1	2	3	4	5	66	

APPENDIX "C-3" (See rule 26)

Registration Letter of Authorised Architect/Structural Engineer For Building Permission

Office	e of the M	unicipal Corp	poration/Munic	cipality	Nagar	Parishad
	••••••			. •		
Regis	tration No	•••••		I	Date	*********
on n	I(Name of A lots measuring v/20 Registra	rchitect/Structunto 300 sa.m.	ural Engineer) eter. This regi	to issue t istration	shall be	permission
		Со	nditions			
1.	This Registration	on shall be non	transferable.			
2.	Authorised Arc	hitect/Structura	al Engineers sh	all displace of his	ay the ori office.	ginal copy
3.,.	Authorised Ar	rchitect/Structu	ral Engineer		get ren	ewed the
4.	Authorised Arc Madhya Prades terms of this reg	sh Bhumi Vika	al Engineer sha as Niyam, 2012	ll abide 1 2 and sh	by the pr all work	ovisions of within the
5.	Authorised Arc for supervision the plans prepar	or preparation	al Engineer sha of map plans	ll not exe nor shall	accord s	agreement sanction for
6.	Authorised Ar documents on with name an Jurisdiction in	behalf of the a	authority after no. and subr	issuing	building	permission
7. ,	This Registration Pradesh Bhumi shall entail can legal action aga any law for the	Vikas Rules, 2 cellation of the author	2012 and bread registration w rised Archited	ithout p	rejudice	to any othe
عابد ا			• •			
_			N	ame and	address	of

Commissioner / Chief Municipal Officer

with seal

APPENDIX "C-4"

(See rule 26) Form of keeping the detail of Building Permission

Table-A (General)

	Name of the applicant /plot holder		Area(in sq.mtr)	Name of the colony& plot no.
1	2	3	. 4	5

Applicant fee Rs. Receipt No. & date	Date of the Receipt of application	Permission fee Rs., Receipt No. and Date	Date of the delivery of the copy of permission to the licensed Architect/Engineer	Date of the deposit of all documents with the building permission office
6	7	8	9	10

TABLE-B (TECHNICAL)

s.no.	Name and Address of	area and	detail of sanctioned permission										
	the	measur	marginal	covere	d hei	ght			F.A.	R			
	applicant, plot no.,colony, mauhala	ement of the plot	open land area area			sand	tior	sanction ed	area as per FAR	l .	ea, out the FAR		
			front	back	prev ailing	mar ket							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
• .		 							٠				

s.no.	calculation of fee in permission									
	application fee	permission fee		other fee						
1.	14	15	16	17	18					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S. K. MUDGAL, Dy Secy.